न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 229/2020

1. हरीश कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– – वादीगण

बनाम

1. कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. नरेश कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. प्रीति नागपाल पुत्री स्व. श्री ताराचन्द पत्नी श्री प्रवीण नागपाल जाति अरोड़ा निवासी गली नं. 2, मकान नं. 1, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री श्योकत अली अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री परमजीत सिंह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 19.02.2024

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा बाबत घोषणा व खाता विभाजन के तहत वंशावली सहित इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही रक्त सम्बन्ध से जुड़े हुए हैं तथा सभी का संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता/पति स्व. श्री ताराचन्द पुत्र श्री मिलखीराम उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता थे। जिनकी मृत्यु उपरान्त वादी संख्या 1 परिवार के कर्ता है। उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से संयुक्त परिवार हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार के पृथक–पृथक सदस्यों के नाम से पृथक–पृथक कृषि भूमि क्रय की गई।

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गई कृषि भूमि जो तहसील टिब्बी जमाबन्दी सम्वत् के चक नम्बर 6 के. एच. आर. के खाता संख्या 152/150 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में 2.631 हैक्टर कृषि भूमि ब0हि0ब0, चक नम्बर 7 के.एच.आर. के खाता संख्या 116/106 जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में 2.277 हैक्टेयर कृषि भूमि ब0हि0ब0, चक नम्बर 3 सी.डी. आर. के खाता संख्या 158/143 जमाबन्दी संवत 2075–78 में 1.316 हैक्टर कृषि भूमि ब0हि0ब0 राजस्व अभिलेख में अंकित है जो कि पैतृक है तथा वादी संख्या 1 के नाम से चक 3 सी. डी. आर. के खाता संख्या 159/142 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 1.600 हैक्टर कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 7 के. एच. आर. के खाता संख्या 18/16 जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में 2.783 हैक्टर है, जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 3 का विवाह काफी धन व्यय कर काफी दान दहेज व उपहार देकर किया गया तथा वह अपना विवाहित जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रही है। जिसका पीहर के परिवार से विशेष स्नेह रहा है तथां पीहर द्वारा उन्हे पूर्ण सहयोग व आर्शीवाद निरन्तर रहा है एवं प्रतिवादी संख्या 1 वृद्धावस्था में है जिसकी सेवा सुश्रूषा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 करते है इसलिये प्रतिवादीया संख्या 1 व 3 द्वारा अपना अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में समभाग से परित्याग कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा अपनी स्वेच्छा व बिना किसी दबाव के परित्याग किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त कृषि भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि का आपसी सहमति, रजामन्दी से परिवार में सुख शान्ति एवं प्रेम, सद्भाव तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिये एवं बढ़ते हुए वंशवृक्ष को ध्यान में रखते हुए मौखिक रूप से कुछ समय पूर्व उक्त कृषि भूमि के माप एवं सीमांकन, बाजार मूल्य के बुद्धिमत्त विभाजन कर लिया था। विभाजन के अनुसार वादीगण ने अपने–अपने हिस्से में प्राप्त कृषि भूमि में स्वत्व प्राप्त कर आधिपत्य एवं धारण ग्रहण कर लिया था। तब से निरन्तर उक्त उपयोग व उपभोग सभी के द्वारा अपने–अपने हिस्से का किया जाता हिस्से का किया जाता रहा है। उक्त विभाजन के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन में निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई है:–

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ... जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(क) वादी संख्या 1 हरीश कुमार को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 6 के.एच.आर. खाता संख्या 152/150 पत्थर नम्बर 226/216(50) किला नम्बर 7/0.126, 14, 15, 16/0.215, 17, 24 कुल 1.315 हैक्टर।
चक 7 के. एच. आर. खाता संख्या 18/16 पत्थर नम्बर 226/208(4) किला नम्बर 5/1/0.228, 5/2/0.025, पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 13, 14, 18 ता 22 कुल 2.024 हैक्टर।

चक 7 के.एच.आर. खाता संख्या 116/106 पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 6/1/0.228, 6/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन, कुल 0.379 हैक्टर।

(ख) वादी संख्या वादी संख्या 2 राकेश कुमार को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 6 के. एच. आर. खाता संख्या 152/150 पत्थर नम्बर 226/215(49) किला नम्बर 17, 24 पत्थर नम्बर 226/216(50) किला नम्बर 4, 5/0.215, 6/0.215, 7/0.127 कुल 1.316 हैक्टर।
चक 7 के. एच. आर. खाता संख्या 18/16 पत्थर नम्बर 226/208(4) किला नम्बर 7, पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 11, 12 कुल 0.759 हैक्टर।

चक 7 के. एच. आर. खाता संख्या 116/106 पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 2/1/0.228, 2/2/0.025 गैर मुमकिन, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गैर मुमकिन, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गैर मुमकिन, 7/0.127 हैक्टर, 8, 9, 10 कुल 1.645 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 नरेश कुमार को प्राप्त आराजी :– चक 3 सी. डी. आर. खाता संख्या 158/143 पत्थर नम्बर 223/225(53) किला नम्बर 9, 12, 13, 14/0.240, 15/0.190, 18/1/0.051, 19/1/0.076 हैक्टर कुल 1.316 हैक्टर।

चक 3 सी. डी. आर. खाता संख्या 159/142 पत्थर नम्बर 223/224(52) किला नम्बर 25/2/0.082, पत्थर नम्बर 223/225(53) किला नम्बर 3 ता 8, कुल 1.600 हैक्टर।

वादीगण द्वारा चक 7 के.एच.आर. के खाता संख्या 116/106 के पत्थर नम्बर 226/210 मु.नं. 18 के किला नम्बर 5/1, 5/2 जिसमें ढ़ाणी व ट्युबवैल स्थापित है उसे सांझा रखा गया है अर्थात उक्त किला नम्बर 5/1, 5/2 वादीगण का संयुक्त रहेगा क्योकि ट्युबवैल का विद्युत सम्बन्ध प्राप्त करने में काफी समय लगता है और बिना सिंचाई के कृषि भूमि से सही पैदावार प्राप्त नही की जा सकती इन परिस्थितियों में उक्त किला नम्बर 5/1, 5/2 को संयुक्त रखा गया है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित समस्त कृषि भुमि वादीगण एवं प्रतिवादी 1 व 2 की पैतृक एवं नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित है। ऐसी [illegible] में वादीगण को यह युक्तियुक्त आंशका है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी भी [illegible] अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से उक्त समस्त कृषि भुमि को बेच/अन्तरित कर देंगे तथा इसके अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रयासरत् भी है । इन विद्यमान परिस्थितियों में वादीगण उक्त वर्णित चरण संख्या 5 में विभाजन में प्राप्त हिस्सानुसार कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

घोषित करवाने तथा घरू बंटवारा में हिस्सा में आई वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित कब्जाकाश्त के अनुसार खाता विभाजित करवाने का अनुतोष चाहा है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण से आग्रह किया कि वे विभाजन में प्राप्त वाद पत्र की चरण संख्या 5 के अनुसार खाता विभाजित करवा अपने–अपने नाम से राजस्व अभिलेख में अंकन करवा देवें किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने इस न्यायोचित निवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया। बस यही वाद कारण है।

वादी का वाद पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि वादी संख्या 1 चक 7 के. एच. आर. के खाता संख्या 18/16 में 2.024 हैक्टर तथा वादी संख्या 2 को 0.759 हैक्टर कृषि भूमि का एवं चक 7 के.एच. आर. के खाता संख्या 116/106 में वादी संख्या 1 को 0.379 हैक्टर व वादी संख्या 2 को 1.645 हैक्टर कृषि भूमि का तथा चक 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 152/150 में वादी संख्या 1 को 1.315 हैक्टर व वादी संख्या 2 को 1.316 हैक्टर कृषि भूमि के एवं चक 3 सी. डी. आर. के खाता संख्या 158/143 में प्रतिवादी संख्या 2 को 1.316 हैक्टर व चक 3 सी. डी. आर. के खाता स. 159/142 में प्रतिवादी संख्या 2 को 1.600 हैक्टर, कृषि भूमि का खातेदार काष्तकार घोषित किया जावे तथा चक 7 के.एच.आर. के खाता संख्या 18/16 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम चक 7 के.एच.आर. के खाता संख्या 116/106 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम तथा चक 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 152/150 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम व चक 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 158/143 में वादीगण का नाम व इसी चक 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 159/142 में वादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जावे।

(ख) वाद पत्र की चरण संख्या 5 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का खाता अलग कर रकम राज अलग से कायम की जावे ।

(ग) वादीगण को वाद व्यय दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय को दिलवाया जाना उचित समझे दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता अपना सहमति का जबाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि में जो भी हक

Scanned with CamScanner

व हिस्सा बनता था या रहा वह समस्त हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में ब0हि0ब0 परित्याग कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का अब कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है तथा न ही लेना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा स्वेच्छा, बिना किसी दबाव से परित्याग किया गया था यदि वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी सं0 2 डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है तथा पूर्ण सहमति है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जबाव दावा मय प्रतिदावा पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि में जो भी हक व हिस्सा बनता था या रहा वह समस्त हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर परित्याग कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का अब कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है तथा न ही लेना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा स्वेच्छा, बिना किसी दबाव से परित्याग किया गया था। उपधारा क से ग में वर्णित तथ्य स्वीकार है। इस चरण संख्या में वर्णित यह तथ्य सही है व स्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के द्वारा अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में समभाग से परित्याग करने के उपरान्त वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित समस्त कृषि भूमि के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 स्वामी हुए। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आपसी सहमति, रजामंदी से भूमि एकीकरण, माप व सीमांकन तथा बाजार मूल्य के दृष्टिगत विभाजन कर लिया तथा विभाजन के अनुसार उपधारा (क) से (ग) में वर्णितानुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 जरिये राजपैरोकार जवाब स्टेट पेश किया। पत्रावली में आई.डी. की फोटो प्रतियाँ पेश की गई। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा साक्ष्य के रुप में अपने शपथ पत्र, पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दी, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पेश किये गये व दस्तावेज प्रदर्ष करवाये गये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा प्रस्तुत हो चुका है तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोई उज्र व एतराज पेश नहीं किया गया है व वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र शामिल पत्रावली करवाकर प्रदर्श करवाये है वादीगण का वाद पूर्णतया साबित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
निवाई

Scanned with CamScanner

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा सहमति, प्रतिदावा व राजीनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र साक्ष्य व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दीयां व अन्य दस्तावेज बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उन दस्तावेजो के आधार पर वादीगण का वाद साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा, राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीगण साबित करने में सफल रहे है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दावा व राजीनामा के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 2 स्वीकार किया जाता है कि:–

(क) वादी संख्या 1 हरीश कुमार को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 6 के.एच.आर. खाता संख्या 152/150 पत्थर नम्बर 226/216(50) किला नम्बर 7/0.126, 14, 15, 16/0.215, 17, 24 कुल 1.315 हैक्टर।
चक 7 के. एच. आर. खाता संख्या 18/16 पत्थर नम्बर 226/208(4) किला नम्बर 5/1/0.228, 5/2/0.025, पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 13, 14, 18 ता 22 कुल 2.024 हैक्टर।
चक 7 के.एच.आर. खाता संख्या 116/106 पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 6/1/0.228, 6/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन, कुल 0.379 हैक्टर।

(ख) वादी संख्या वादी संख्या 2 राकेश कुमार को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 6 के. एच. आर. खाता संख्या 152/150 पत्थर नम्बर 226/215(49) किला नम्बर 17, 24 पत्थर नम्बर 226/216(50) किला नम्बर 4, 5/0.215, 6/0.215, 7/0.127 कुल 1.316 हैक्टर।
चक 7 के. एच. आर. खाता संख्या 18/16 पत्थर नम्बर 226/208(4) किला नम्बर 7, पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 11, 12 कुल 0.759 हैक्टर।
चक 7 के. एच. आर. खाता संख्या 116/106 पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 2/1/0.228, 2/2/0.025 गैर मुमकिन, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गैर मुमकिन, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गैर मुमकिन, 7/0.127 हैक्टर, 8, 9, 10 कुल 1.645 हैक्टर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:10:27 IST
Reason: SelfAttested

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 नरेश कुमार को प्राप्त आराजी :– चक 3 सी. डी. आर. खाता संख्या 158/143 पत्थर नम्बर 223/225(53) किला नम्बर 9, 12, 13, 14/0.240, 15/0.190, 18/1/0.051, 19/1/0.076 हैक्टर कुल 1.316 हैक्टर।

Scanned with CamScanner

चक 3 सी. डी. आर. खाता संख्या 159/142 पत्थर नम्बर 223/224(52) किला नम्बर 25/2/0.082, पत्थर नम्बर 223/225(53) किला नम्बर 3 ता 8, कुल 1. 600 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक 7 के.एच.आर. के खाता संख्या 18/16 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम चक 7 के.एच.आर. के खाता संख्या 116/106 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम तथा चक 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 152/150 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम व चक 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 158/143 में वादीगण का नाम व इसी चक 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 159/142 में वादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसांर ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिंनाक 07.2.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 229/2020

1. हरीश कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–– वादीगण

वनाम

1. कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री ताराचन्द ज़ाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. नरेश कुमार पुत्र स्व. श्री ताराचन्द जाति अरोड़ा निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. प्रीति नागपाल पुत्री स्व. श्री ताराचन्द पत्नी श्री प्रवीण नागपाल जाति अरोड़ा निवासी गली नं. 2, मकान नं. 1, नागपाल कॉलोनी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
4. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ।

–– प्रतिवादीगण दावा

अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :– 07.02.2024

वादीगण की ओर से श्री श्योकत अली अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री परमजीत सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.2.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेष किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta

Date: 2024.05.08 11:41:27 IST

Reason: SelfAttested

(क) वादी संख्या 1 हरीश कुमार का ग्राम आसरा चक नम्बर 6 के.एच.आर. खाता संख्या 152/150 पत्थर नम्बर 226/216(50) किला नम्बर 7/0.126, 14, 15, 16/0.215, 17, 24 कुल 1.315 हैक्टर।
चक 7 के. एच. आर. खाता संख्या 18/16 पत्थर नम्बर 226/208(4) किला नम्बर 5/1/0.228, 5/2/0.025, पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 13, 14, 18 ता 22 कुल 2.024 हैक्टर।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

चक 7 के.एच.आर. खाता संख्या 116/106 पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 6/1/0.228, 6/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन, कुल 0.379 हैक्टर।

(ख) वादी संख्या वादी संख्या 2 राकेश कुमार को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 6 के. एच. आर. खाता संख्या 152/150 पत्थर नम्बर 226/215(49) किला नम्बर 17, 24 पत्थर नम्बर 226/216(50) किला नम्बर 4, 5/0.215, 6/0.215, 7/0.127 कुल 1.316 हैक्टर।

चक 7 के. एच. आर. खाता संख्या 18/16 पत्थर नम्बर 226/208(4) किला नम्बर 7, पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 11, 12 कुल 0.759 हैक्टर।

चक 7 के. एच. आर. खाता संख्या 116/106 पत्थर नम्बर 226/210(18) किला नम्बर 2/1/0.228, 2/2/0.025 गैर मुमकिन, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गैर मुमकिन, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गैर मुमकिन, 7/0.127 हैक्टर, 8, 9, 10 कुल 1.645 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 नरेश कुमार को प्राप्त आराजी :– चक 3 सी. डी. आर. खाता संख्या 158/143 पत्थर नम्बर 223/225(53) किला नम्बर 9, 12, 13, 14/0.240, 15/0.190, 18/1/0.051, 19/1/0.076 हैक्टर कुल 1.316 हैक्टर।

चक 3 सी. डी. आर. खाता संख्या 159/142 पत्थर नम्बर 223/224(52) किला नम्बर 25/2/0.082, पत्थर नम्बर 223/225(53) किला नम्बर 3 ता 8, कुल 1.600 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक 7 के.एच.आर. के खाता संख्या 18/16 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम चक 7 के.एच.आर. के खाता संख्या 116/106 में प्रतिवादी संख्यां 2 का नाम तथा चक 6 के.एच.आर. के खाता संख्या 152/150 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम व चक 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 158/143 में वादीगण का नाम व इसी चक 3 सी.डी.आर. के खाता संख्या 159/142 में वादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगें। यह निर्णय आज दिनांक 07.2.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:27 IST
Reason: Self Attested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

मुहर

Scanned with CamScanner